


8.S.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अशासन
 केम विरोधा में पेश हुई। (उलिकाडी)
 है। अपावली वामनिवास स्वयं 370
 (उलिकाडी) अपावली के अधिकारक
 370 प्रारण को सुना गया। पत्रावली
 में अवलोकन किया। मूल शिका की
 पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है
 कि उलिकाडी से 3 की कायम शुल्क
 कार्यवाही हेतु 23.8.15 से चल
 रही थी। कायम शुल्क कार्यवाही
 ना होने एवं यदि एवं उनके
 अधिकार उपाखिल का कान पर
 मूल शिका दिनांक 19.9.16 के
 अंशम हाजिरी के शारिफ किया
 गया था। प्रार्थी ने वार को सुना
 गम्बर पर लेने के लिए प्रार्थना का
 पत्र किया है। वर केवल उलिकाडी
 से। वामनिवास को पदाकार
 बनाते हुए पेश किया है। अन्य
 उलिकाडियों को प्रारण के पदाकार
 नहीं बनाया है। ना ही उलिकाडी
 से 3 की शुल्क होने कायम शुल्क

वामनिवास

Zmn

(विच सत्य)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	<p> बनाने वाला निवेश किया है उपरोक्त कार्यवाही के अभाव में प्राथमिक पर चलने योग्य नहीं है। अतः प्राथमिक पर के साथ पक्षकारों को रिकार्ड पर नालेने व प्रतीवाही से 3 के अन्तर्गत मुकाम की कार्यवाही ना करने के अभाव में अणुपत्र 09/29 CIL खारिज किया जाता है। प्रमाणों के अभाव में मूलवाद के साथ सिलवत रहे। </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज०) </p>	